राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1329/2011/सीकर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सीकर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बसन्त लाल कुन्दन मल,
सुरानी बाजार, श्रीमाधोपुर, सीकर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से
श्री सतीश गुप्ता,
अधिकृत अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 119/अपील्स–चतुर्थ/10–11 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सीकर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 17,944/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 01.04.2007 से 31.03.208 (2007–08) आलौच्य अवधि की त्रेमासिक विवरणी सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 58 के तहत रू0 500/–प्रति तिमाही के हिसाब से शास्ति रू0 2,000/–, व्यवहारी के द्वारा वार्षिक विवरणी वेट–10–ए विलम्ब से पेश की गयी जिस पर धारा 58 के तहत शास्ति रू0 500/– इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 73(1) की पालना में आलोच्य अवधि की ऑडिट रिपेर्ट पेश नहीं करने पर आलोच्य अवधि के कुल पण्यावर्त रू0 1,54,43,930/– पर धारा 73(2) के तहत 0.10 से शास्ति रू0 15,444/– प्रत्यर्थी के विरूद्ध आदेश दिनांक 25.03.2010 द्वारा आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 09.12.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित कुल मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी कपड़े का करमुक्त कारोबार करता है अतः बिक्री प्रपत्र त्रैमासिक पेश नहीं किये तथा जानकारी के अभाव में वैट–10–ए विलम्ब से पेश किया। प्रत्यर्थी करमुक्त माल का ही क्रय विक्रय करता है जिस पर वेट ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(84)एफडी/टैक्स.डिवी/2009–27 दिनांक 8.7.2009 द्वारा पूर्णतया करमुक्त वस्तु में कारोबार करने वाले व्यवहारियों को अधिनियम की धारा 73(1) में वर्णित वेट ऑडिट रिपोर्ट के प्रावधानों में डिस्पेन्स कर दिया है। अतः धारा 73(2) के तहत अधिरोपित शास्ति अविधिक है। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को नियम 48 के तहत कोई सुनवाई का नोटिस भी जारी नही किया गया है। उनका निवेदन था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावे।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा पूर्णतया करमुक्त वस्तु में कारोबार करने वाले व्यवहारियों को अधिनियम की धारा 73(1) में वर्णित वेट ऑडिट रिपोर्ट के प्रावधानों में डिस्पेन्स कर दिया है। सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 73(2) एवं 58 के तहत शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को नियम 48 के तहत सुनवाई का अवसर दिये बगैर शास्ति आरोपित की है जो पूर्णतया अविधिक है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य है।।

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष